न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 211/2024(GCMS : 2024/304)

एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, सी–25, भगवन्त दास रोड़, सेंट जेवियर स्कूल के सामने, सी–स्कीम, जयपुर–302001 में स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विनय अरोड़ा (एन.सी.एल.टी. मुम्बई के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुसार एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड का विलय एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड में हो गया।)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

स्वर्गीय श्री रिछपाल
कानूनी वारिस

1. **श्रीमती मोहिनी देवी पत्नी** स्वर्गीय श्री रिछपाल
2. **श्रीमती पूनम पुत्री** स्वर्गीय श्री रिछपाल
3. **श्रीमती पुष्पा पुत्री** स्वर्गीय श्री रिछपाल
4. **श्री गोविन्द पूत्र** स्वर्गीय श्री रिछपाल
5. **श्री लक्ष्य पुत्र स्वर्गीय श्री अमन (पौत्र स्वर्गीय श्री रिछपाल), अव्यस्क** (संरक्षक श्रीमती सुमन)
6. **सुश्री रक्षिता पुत्री स्वर्गीय श्री अमन (पौत्री स्वर्गीय श्री रिछपाल), अव्यस्क (संरक्षक श्रीमती सुमन)**

(क) वार्ड नं. 3, हशलिया रोड़, सैकण्डरी स्कूल के पास, गोलूवाला सिहागान, 22 जे.आर.के. तहसील –पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ – 335512
(ख) खाता नं. 95, चाल 22 जे.आर.के. तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ – 335512

30.07.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पराशर ने वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र मय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश की प्रति के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण सुविधा के रूप में 27.00/– लाख रुपये की राशि की स्वीकृति दिनांक 28.12.2015 को प्रदान की गई थी। अप्रार्थीगण के खा[illegible] दिनांक 30.11.2022 को 30,15,006/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋ[illegible] सुरक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

की एवज में **अप्रार्थी रिछपाल द्वारा बंधक रखी अपनी अचल** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने पूर्व में प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पेश किया था, जिसमें उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना नहीं होने के कारण प्रकरण दिनांक 21.08.2023 को खारिज कर, पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये थे। प्रार्थी बैंक के द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 21.08.2023 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना किये बिना प्रकरण संख्या 04/2024 पेश किया। वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में पूर्व में पारित आदेश को रिव्यु करने का कोई प्रावधान न हो के कारण प्रार्थी बैंक का प्रकरण दिनांक 20.03.2024 को पुनः खारिज किया गया।

अब प्रार्थी बैंक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश के साथ पुनः प्रकरण पेश किया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 04.11.2024 के पैरा संख्या 06 में निम्नानुसार आदेश दिये हैः

> Having regard to the facts and circumstances of the case, this Court deems it just and proper to set-aside the impugned order dated 20.03.2024 passed by the District Collector and District Magistrate, Sriganganagar, Rajasthan in case No. 211/2024 with a direction to petitioner to file a fresh application under Section 14 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the same shall be considered by the District Collector and District Magistrate, Sriganganagar, Rajasthan keeping in view the provisions under Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 within a period of eight weeks from the date of submission thereof.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:47:50 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण **और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों**/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में **अप्रार्थी ऋणी की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. सी—14, रॉयल सिटी, चक नं. 5—ई छोटी, मुरब्बा नं. 41 किला नं.13 एवं 14 तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर जिसका क्षेत्र 35 गुणा 60 फीट है। (पडौस : पूर्व — प्लॉट नं. 01, पश्चिम — रोड़ 30 फीट चौड़ी, उत्तर — रोड़ 30 फीट चौड़ी एवं दक्षिण—प्लॉट नं. 13),** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 16.12.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 16.12.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 22.12.2022 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण मोहिनी देवी, गोविन्द , लक्ष्य एवं रक्षिता को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है परन्तु अप्रार्थीगण पूनम एवं पुष्पा को धारा 13(2) के नोटिस की ट्रैक रिपोर्ट — Item Returned Addressee Left without instructions दिनांक 24.12.2022/28.12.2022 के अनुसार उन्हें नोटिस प्राप्त नहीं हुए है। इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2)**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:50 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

का नोटिस दिनांक 26.12.2022 को चस्पा कर, दो समचार पत्रों पंजाब केसरी एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 04.01.2023 को प्रकाशित करवाये है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटैड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल प्लॉट नं. सी—14, रॉयल सिटी, चक नं. 5—ई छोटी, मुरब्बा नं. 41 किला नं.13 एवं 14 तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर जिसका क्षेत्र 35 गुणा 60 फीट है। (पडौस : पूर्व — प्लॉट नं. 01, पश्चिम — रोड़ 30 फीट चौड़ी, उत्तर — रोड़ 30 फीट चौड़ी एवं दक्षिण—प्लॉट नं. 13), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व [illegible] पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। [illegible] तामील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.07.20[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:50 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर